न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 200/2020
3. उनवान : सरकार जरिये कुशाल बिलाला प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

1. श्री कुलबीर सिंह पुत्र श्री कमल सिंह जाट, उम्र 40 वर्ष, निवासी खेडी बूरा, चरखीदादरी, जिला भिवानी, हरियाणा थाना चरखीदादरी वाहन चालक बिना नंबर का ट्रेक्टर।
2. मालिक बिना नंबर का ट्रैक्टर मोडल ए.सी. ई. DL-450 चैसिस नंबर 92094500627, इंजन नम्बर PYAA498BT/0800242 Year 2009

4. निर्णय दिनांक : 13.06.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री कैलाश दत्त शर्मा ने अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी जयपुर प्रथम श्री कुशाल बिलाला द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सेम्पल लेबल, एफ.आई.आर. की प्रति आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि दिनांक 21.06.2015 को पुलिस थाना पनियाला की चैंकिंग के दौरान अप्रार्थी कुलबीर सिंह की ट्रैक्टर–ट्रोली को अवैध डीजल होने के कारण डिटेन किया। थानाधिकारी पनियाला की सूचना पर प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी मय स्टाफ थाना परिसर में ट्रैक्टर–ट्रौली में उपलब्ध पदार्थ की जांच, परीक्षण व मापतौल के पश्चात जब्ती की कार्यवाही कर अवैध 3397.750 लीटर डीजल मय बिना नंबर का ट्रैक्टर तथा इससे जुडी लौरी को जब्त किया गया। मौके पर अप्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य सबूत उक्त डीजल के संधारण के संबंध में पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। जिस पर उनकी ओर से दिनांक 04.08.2015 को अधिवक्ता श्री कैलाश दत्त शर्मा ने वकालतनामा पेश किया और अप्रार्थी की ने प्रार्थना पत्र पेश कर स्वयं को ट्रैक्टर–ट्रोली का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे व जमानतनामे पर वाहन उसे सौंपने का निवेदन किया, जिस पर दिनांक 18.08.2015 को रुपये 3,00,000/– के जमानतनामे पर अप्रार्थी को सुपुर्द करने के आदेश दिये। तत्पश्चात अप्रार्थी के जमानतनामा पेश करने पर थानाधिकारी, थाना पनियाला को वाहन के मोचन आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 02.07.2019 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में माननीय न्यायालय

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस.पी.ई.जी.) जयपुर द्वारा कुलबीर सिंह पर आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार नहीं होने से उसे उन्मोचित किया गया है अतः जब्तशुदा डीजल या इससे विक्रित राशि मय 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्रार्थी को दिलाई जावे। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त निर्णय की हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित प्रति आदिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई जिससे उक्त आदेश को पुष्ट नहीं माना जा सकता है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि उच्चतर न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में केवल व्यक्तियों के विषय में ही निर्णय प्रदान किया है, वस्तुओं के विषय में कोई निर्णय/निर्देश प्रदान नहीं किया है। ऐसी स्थिति में जब्त वस्तुओं के लिए पृथक से निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। तत्पश्चात लम्बे समय तक अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने के बावजूद पत्रावली बहस पर रखी गयी। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 13.06.2022 को आदेश हेतु रखी गई। हम अप्रार्थीगण द्वारा जब्त वस्तुओं के वैधानिक क्रय, संधारण, परिवहन, विक्रय आदि के विषय में कोई भी वैध एवं प्रामाणिक दस्तावेज आदिनांक तक पेश नहीं करने के कारण जब्त वस्तुओं को अवैध मानते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित पाते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामान जिसमें 3397.50 लीटर डीजल मय बिना नंबर का ट्रैक्टर तथा इससे जुडी टैंकर लोरी शामिल है, को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर